TDC-III (H) | Generalists Vs Specialists | Pol. Science
Paper-V | सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ | Dr. S.B.Kr.

लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक लंबे समय से यह विवाद चल रहा है कि लोक सेवा (Civil Services) सामान्य प्रशासकों एवं कार्य विशेषज्ञों की भूमिका क्या होनी चाहिए। भारत ने ब्रिटिश प्रशासनिक नमूने को अपनाया है, अतः यहाँ भी स्वतंत्रता के समय से ही यह समस्या बनी हुई है। हालाँकि इस विषय पर भारत के प्रधानमंत्रियों, अध्ययन समितियों, प्रशासनिक आयोगों तथा पंचवर्षीय योजनाओं ने ध्यान दिया है फिर भी अभी तक यह समस्या बनी हुई है।

इस वाद-विवाद को समझने से पहले दोनों शब्दों को अर्थ समझ लेना चाहिए।

सामान्यज्ञ (Generalist) :- सामान्य प्रशासक का अर्थ है एक अव्यवसायी प्रशासक, जिसने भाषा अथवा प्रतिष्ठित ग्रंथों से शिक्षा प्राप्त की है और वह एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है जिसमें चरित्र के कुछ व्यक्तिगत गुण भी हैं। चूँकि उसने किसी एक अध्ययन शास्त्र, व्यवसायिक अथवा पेशेवर शिक्षा का कोर्स नहीं किया, जो लोक सेवा में भर्ती के लिए अनिवार्य हो, अतः उसके पास कोई विशेषज्ञ अथवा तकनीकी योग्यता नहीं है।

डा० अमरेश्वर अवस्थी एवं डा० श्रीराम महेश्वरी के शब्दों में "सामान्यवादी से तात्पर्य ऐसे लोक सेवक से है जिसका कोई विशेष आधार या पृष्ठभूमि नहीं होती और जो सरलता से शासन के एक विभाग या शाखा से दूसरे में हस्तांतरित किया जा सकता है। सामान्यवादी की एक दूसरी परिभाषा यह भी की जाती है कि वह ऐसा लोक सेवक है जो प्रबंधकीय वर्ग का सदस्य है तथा नियमों एवं पद्धति संबंधी व्यवस्था में पूर्ण पारंगत होता है और सामान्यतः POSDCORB से संबंधित कार्यों का संपादन करता है।"

विशेषज्ञ (Specialist) :- एक विशेषज्ञ विशेष शिक्षा प्राप्त कुशल व्यक्ति है जिसने ज्ञान की किसी विशेष शाखा का अध्ययन किया है तथा विशेष विषयों अथवा क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने की विशिष्ट कुशलता प्राप्त की है। अतः लोक सेवा में विशेषज्ञ उनको कहते हैं जिनको ऐसे पदों के लिए भर्ती किया जाता है, जिनके लिए व्यवसायिक, वैज्ञानिक, तकनीकी या अन्य विशिष्ट योग्यताएँ अनिवार्य होती हैं और स्पष्टतः जिसमें इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, अर्थशास्त्री इत्यादि सम्मिलित होते हैं।

Scanned with CamScanner

अवस्थी एवं महेश्वरी के शब्दों में "विशेषज्ञ से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे किसी क्षेत्र अथवा कार्य विशेष; यथा- कृषि, चिकित्सा, यान्त्रिकी, शिक्षा आदि में विशेष योग्यता प्राप्त हो। विशेषज्ञ को उसकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आधार पर सरलता-पूर्वक पृथक किया जा सकता है।"

इस प्रकार सामान्यज्ञ (Generalist) तथा विशेषज्ञ (Specialist) में अंतर का आधार उनके द्वारा प्राप्त की गई शैक्षणिक योग्यता है। दोनों के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं:

सामान्यज्ञों के पक्ष में तर्क (Arguments for Generalists)

1) अन्य कलाओं की भांति प्रशासन भी एक कला है और सामान्यवादियों को प्रशासनिक कला में ही प्रशिक्षित किया जाता है। वे किसी भी विभाग में किसी भी पद को धारण करके कुशलता से कार्य करते हैं।
2) सामान्यज्ञ सामान्य अनुभव, उदार दृष्टिकोण और निष्पक्षता से निर्णय ले सकता है।
3) सामान्यज्ञ सूझ-बूझ और दूर दृष्टि से कार्य करते हैं। वे विषय वस्तु से संबंधित सूचनाएँ और आँकड़े एकत्र कर उनका उचित उपयोग करते हैं।
4) सामान्यज्ञ विशेषज्ञ की अपेक्षा अधिक सफल हो सकता है क्योंकि विशेषज्ञ का ज्ञान संकुचित होता है।
5) विशेषज्ञ अपनी बात मनवाने की हठ करता है जबकि सामान्यज्ञ मंत्रियों से सहयोग करता है और उनके स्वामित्व को स्वेच्छा से स्वीकार करता है।
6) सामान्यज्ञ प्रणाली प्रशासन को जनता के साथ सीधा संबंध स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है।

विशेषज्ञों के पक्ष में तर्क (Arguments for Specialists)

1) यदि तकनीकी विषयों के विभाग का सचिव सामान्यज्ञ है जो जो मंत्री को परामर्श देता है तो यह अंधे द्वारा अंधे को रास्ता दिखाने के समान है।
2) सार्वजनिक उद्योग, जिनके अध्यक्ष सामान्यज्ञ हैं, कुप्रबंध और भारी घाटे में चल रहे हैं।
3) यह तर्क भी गलत है कि एक सामान्यज्ञ को प्रशासन के संपूर्ण क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान है। एक सामान्यज्ञ को सभी क्षेत्रों का ज्ञान होना कठिन है। अतः विशेष विभागों के अध्यक्ष विशेषज्ञ ही होने चाहिए।
4) एक सामान्य राजनीतिज्ञ को विज्ञ (ज्ञानी) प्रशासक ही मिलना चाहिए जिससे प्रजातंत्र सही मार्ग पर अग्रसर हो।

Scanned with CamScanner

5.) भारत जैसे विशाल और विकासशील राष्ट्र की समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही किया जा सकता है न कि प्रशासनिक उपायों से।

6.) तकनीकी क्षेत्रों जैसे कि आर्थिक नियोजन, सांख्यिकी, सुरक्षा, चिकित्सा, विधि, यांत्रिकी, शिक्षा इत्यादि विभागों की बागडोर विशेषज्ञों के हाथों में ही होनी चाहिए क्योंकि इनमें अनुसंधान की बहुत संभावना है, जिसे विशेषज्ञ ही पूरा कर सकते हैं।

राष्ट्र निर्माण में विशेषज्ञों के महत्व को स्वीकार करते हुए डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था कि "विशेषज्ञों (Specialists) को सामान्यज्ञ (Generalists) प्रशासकों के समतुल्य वेतन-भत्ते तथा दर्जा मिलना चाहिए।"

इस प्रकार सामान्यज्ञों तथा विशेषज्ञों के पक्ष में अपने-2 तर्क दिए जाते हैं लेकिन दोनों में विवाद केवल इसलिए नहीं है कि उनमें से कौन अधिक महत्वपूर्ण है और किसे विभागाध्यक्ष बनाया जाये बल्कि समय के प्रभाव से और विज्ञान व तकनीकी ज्ञान के विकास से यह विवाद स्वाभाविक रूप से पैदा हो गया है। यद्यपि प्रशासन में लोक सेवकों की नियुक्ति के पूर्व अथवा बाद में उनको कार्य के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनेक स्तरों पर प्रशासनिक अकादमी की स्थापना की गई है ताकि सामान्यज्ञ के पास प्रशासन की समुचित जानकारी रहे और वो दक्षता के साथ कार्य कर सकें फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज के ~~बदलते परिवेश में~~ कम्प्युटरीकृत माहौल में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सामान्यज्ञ की अपेक्षा विशेषज्ञ प्रशासन को दक्षता के साथ चला सकते हैं।

अतः आज यह धारणा सही नहीं मानी जा सकती है कि प्रशासकीय क्षमता केवल सामान्यज्ञों में ही होती है अथवा प्रशासन पर उनका ही एकाधिकार होना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासन का ढांचा ऐसा होना चाहिए कि सामान्यज्ञ तथा विशेषज्ञ मिलकर प्रशासन में अपना योगदान दे सकें।

—x—

Scanned with CamScanner